प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.07.2024

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 02 शातिर लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी गाड़ी टाटा अल्ट्रोज बरामद।

दिनांक 24.06.2024 को थाना भोजपुर पर वादी रवि कुमार निवासी गोविन्दपुरी मोदीनगर गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अज्ञात बदमाशों द्वारा मेरी कार टाटा अल्ट्रोज न0 UP 14 EW 1990 को छीन कर ले गये है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना भोजपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.07.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना व मैनुअल इनपुट के आधार पर चैकिंग के दौरान लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर बदमाशों 1. सुनील पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष व 2. जितेन्द्र उर्फ शिवा पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से लूटी गयी गाड़ी टाटा अल्ट्रोज न0 यू0पी0 14 ई डब्लू 1990 रंग ग्रे को बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त सुनील द्वारा बताया गया कि यह कार मैंने व मेरे साथियों जितेन्द्र उर्फ शिवा पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर गाजियाबाद, सुमित पुत्र राजेश निवासी ग्राम उस्मापुर थाना कोतवाली खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर तथा अनुज पुत्र गजेन्द्र निवासी अर्जुन नगर कस्बा चौकी के पास थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ ने मिलकर अवलपुर बम्बे से करीब 10-15 दिन पहले छीनी थी। इस कार से आज हम कोई घटना करने के लिए जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया। घटना के समय अनुज व सुमित द्वारा कार चालक को धमकाया गया था तथा जितेन्द्र ने कार के सामने मोटरसाइकिल लगाकर कार को रुकवाया था। सुनील द्वारा बताया गया कि घटना के समय मैं बम्बे के बने यात्री शेड के पास खड़ा होकर अपने साथियों के घटना करने के लिए इशारा कर रहा था तथा यह भी बताया कि हमारा साथी अनुज कल दिनाँक 06.07.2024 को हापुड़ पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद से सुमित से हमारा कोई सम्पर्क नहीं हुआ है। गाड़ी में रखे एक लाख रूपयों के बारे में पूछा गया तो दोनों ने बताया कि उक्त रूपयों को हम चारों लोगों ने आपस में बांटकर अपने ऐशो आराम पर खर्च कर लिये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. सुनील पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र 33 वर्ष
2. जितेन्द्र उर्फ शिवा पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण

लूटी गई गाड़ी टाटा अल्ट्रोज न0 यू0पी0 14 ई डब्लू 1990 रंग ग्रे बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

1-अभियुक्त सुनील के विरुद्ध पूर्व में चोरी व लूट के कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य जनपदों में कुल 10 अभियोग पंजीकृत है।

2-अभियुक्त जितेन्द्र के विरुद्ध थाना भोजपुर पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा पोक्सो एक्ट के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.06.2024 को थाना टीलामोड पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सोनू पुत्र सहबाज आलम निवासी रघुवीर एन्कलेव पसौन्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष ने वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दो बर्ष पूर्व से लगातार दुष्कर्म कर रहा है। तत्काल थाना टीलामोड पुलिस द्वारा वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 06.07.2024 को पोक्सों एक्ट के अभियोग में वाँछित अभियुक्त सोनू पुत्र सहबाज आलम निवासी रघुवीर एन्कलेव पसौन्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को पसौन्डा पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र सहबाज आलम निवासी रघुवीर एन्कलेव पसौन्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा मोबाईल लूट करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी को संरक्षण मे लेकर कब्जे से लूटा गया मोबाईल फोन व घटना मे प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल बरामद।

दिनांक 06.07.2024 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1- विशाल पुत्र नरेश निवासी एफ 187 उदलनगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र लगभग 19 वर्ष एवं एक बाल अपचारी को राम चमेली चड्डा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया मे लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त विशाल व बाल अपचारी ने पूछने पर बताया कि यह मोबाइल हमने दिनांक 05.07.2024 को हमदर्द चौराहे से एक लडकी से छीना था जिसे आज हम बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड लिया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 मोबाईल
2. घटना मे प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल

नाम पता अभियुक्त

विशाल पुत्र नरेश निवासी एफ 187 उदलनगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र लगभग 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना कौशांबी पुलिस टीम द्वारा घरों का ताला तोडकर चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर, पीली धातु 01 मंगलसूत्र ,01 गले का हार, 01 नथ, 01 माथे का टीका, 01 अंगूठी, 02 कान की झुमकी, 01 नाक की नोज पिन, 01 जोड़ी हाथ की पोहची ,01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु व घटना में प्रयुक्त 01 प्लास, 01 हथौड़ी, 01 लोहा काटने की आरी का पत्ता बरामद।

कार्यवाही का विवरण:दिनांक 29.06.2024 को थाना कौशांबी पर वादी श्री सुरेश चन्द्र महु निवासी- म0नं0 326 तीसरी मंजिल, सै0- 3वैशाली गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर 02 लैपटॉप, 01 मंगलसूत्र, 02 नथ, कान व नाक की वाली, नाक के टाप्स, गले का हार, हाथ की पोहची, 06 पायल, 10 विच्छूवे, 05 अगूठी ,04 सिक्के सफेद धातु ,समस्त सामान पीली व सफेद धातु का चोरी हो गया है। तत्काल थाना कौशांबी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज, व मुखबिरकी सूचना के आधार पर दिनंक 07.07.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला शातिर अभियुक्त अंकुश पुत्र पूरन निवासी फ्लैट नम्बर 171सैक्टर 3 एफ पांचवां तल वैशाली सै0- 3 थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम हिया सण्डीला जिला हरदोई उम्र 20 वर्ष को 2/5 की पुलिया वैशाली से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 02 लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर, पीली धातु 01 मंगलसूत्र, 01 गले का हार, 01 नथ, 01 माथे का टीका, 01 अंगूठी, 02 कान की झुमकी, 01 नाक की नोज पिन, 01 जोडी हाथ की पोहची, 01 जोडी पाजेब सफेद धातु व घटना में प्रयुक्त 01 प्लास, 01 हथौड़ी, 01 लोहा काटने की आरी का पत्ता बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं घरों मे से चोरी करता हूँ और दिन में घूम फिरकर यह देख लेता हूँ कि कौन सा घर बन्द है और फिर मौका देखकर चोरी कर लेता हूँ और चोरी किये सामान को चलते

फिरते लोगों को सस्ते दामों में बेच देता हूँ और जो रुपये मिलते है। उनसे अपना व अपने परिवार वालो का खर्चा चलाता हूँ। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि करीब 8 दिन पहले मैने वैशाली सैक्टर 3 से ही तृतीय तल पर एक घर मे दिन मे चोरी की थी जिसका समान मैंने आपको बरामद कराया है और उसमें से कुछ सामान मैंने चलते फिरते लोगों को बेच दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अंकुश पुत्र पूरन निवासी फ्लैट नम्बर 171 सैक्टर 3एफ. पांचवा तल वैशाली सै0 3 थाना कौशांबी गाजियाबाद मूल पता ग्राम हिया सण्डीला जिला हरदोई उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- कब्जे से 02 लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर, पीली धातु 01 मंगलसूत्र ,01 गले का हार, 01 नथ, 01 माथे का टीका, 01 अंगूठी, 02 कान की झुमकी, 01 नाक की नोज पिन, 01 जोडी हाथ की पोहची, 01 जोडी पाजेब सफेद धातु व घटना में प्रयुक्त 01 प्लास, 01 हथौड़ी, 01 लोहा काटने की आरी का पत्ता बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः

- अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशांबी पर चोरी के 02 अभियोग, 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट व थाना इंदिरापुरम पर 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।